प्रकरण संख्या 88/2024 मांगीलाल व अन्य बनाम शिवसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी द्वारा ने एक विभाजन एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 2348 से 2356, 2553 से 2556, 2558 कुल किता 14 रकबा 38 बीघा 4 बिस्वा में शिवसिंह, पदमसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत का 1/2 हिस्सा, वरदा पिता मोती जाट का 1/2 हिस्सा, परिशिष्ट ''ख'' की आराजी नंबर 2259 से 2261 कुल किता 3 रकबा 43 बीघा में प्रताप कुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत 1/2 हिस्सा, वरदा पिता मोती जाट का 1/2 हिस्सा, परिशिष्ट ''ग'' की आराजीयात कुल किता 6 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा में वरदा के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज है। परिशिष्ट ''ग'' की आराजीयात के साबिक आराजी नंबर 465 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा थे, जिसका हाल रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा अंकित कर दिया गया है, जबकि जरीब की लम्बाई अनुसार 22 बीघा 1 बिस्वा होना चाहिए था तथा इतना ही रकबा मौके पर मौजूद है। पक्षकारों के मध्य 17–18 वर्ष पूर्व हुए बाहमी विभाजन अनुसार परिशिष्ट ''क'' की पूरी आराजियात वादीगण के हिस्से में, परिशिष्ट ''ख'' की पूरी आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हिस्से में तथा परिशिष्ट ''ग'' की आराजी नंबर 2357 प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हिस्से में आयी। पक्षकारान इसी बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज हैं, लेकिन विधिवत खाता विभाजन नहीं होने के कारण विधिवत विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 परिशिष्ट ''क'', ''ख'', ''ग'' में स्थित आराजीयात का हम पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 4 परिशिष्ट ''अ'' की आराजियात वादीगण के नाम, परिशिष्ट ''ब'' की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम तथा परिशिष्ट ''ग'' की आराजियात प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.04.2002 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त पालना रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 02.02.2024 को अंतिम डिक्री जारी की। तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा धारा 151 व 152 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 14.03.2024 प्रतिवादी का	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित डिक्री जारी की। अंतिम डिक्री एवं संशोधित डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील दिनांक 27.08.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 02.02.2024 को अंतिम डिक्री तथा दिनांक 14.03.2024 को संशोधित डिक्री अपीलान्टगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जारी की गयी है, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अंतिम डिक्री प्रारम्भिक डिक्री अनुसार नहीं बनायी गयी है तथा दिनांक 14.03.2024 को जारी संशोधित डिक्री अपीलान्टगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में जारी की गयी है। बंटवारे में खाते पृथक–पृथक नहीं किये गये हैं तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये। ऐसी स्थिति में बंटवारा रिपोर्ट के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह त्रुटि पूर्ण है तथा उसके पश्चात जारी संशोधित डिक्री भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जारी किय जाने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रारम्भिक डिक्री अनुसार हाल आराजी नंबर 2357 से 2360, 2508 व 2509 कुल किता 6 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा में कमी की जाकर सही व मौके पर उपलब्ध 22 बीघा 11 बिस्वा अंकित किया जाकर नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2023 (1) Page 585, RRT 2023 (1) Page 77, RRT 2024 (2) Page 1197 प्रस्तुत की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:39 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि बंटवारा कब्जे अनुसार किया गया है तथा अपीलान्ट सभी जगह उपस्थित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री व संशोधित डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर Supreme Court of India Basawaraj & Anr v/s Spl.Laq Officer on 22 August, 2013 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है, जबकि प्रारम्भिक डिक्री की पालना में स्वयं तहसीलदार को पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना था। तहसीलदार को अपनी शक्तियों को डेलीगेट करने का अधिकार नहीं है, जैसाकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। जहां तक संशोधित डिक्री का प्रश्न है, उक्त संशोधित डिक्री भी अपीलान्ट को बिना सुने मात्र प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर जारी की गयी है। तद्नुसार उक्त संशोधित डिक्री भी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 81/1998 निर्णय व डिक्री अंतिम डिक्री दिनांक 02.02.2024 व संशोधित डिक्री दिनांक 14.03.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की पालना में स्वयं तहसीलदार मावली पक्षकारान को सूचना पत्र जारी पर एवं मौके पर जाकर उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:39 IST
Reason: SelfAttested